246

संख्या–566/XVI-2/16/7(28)/2016

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांकः 16 मई,2016

विषयः–वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष की योजना 09–जड़ी–बूटी शोध संस्थान को अनुदान में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–57/1–1(64)/2016–17 दिनांक–05 मई 2016 एवं वित्त अनुभाग–1 के पत्र संख्या–490/XXVII(1)/2016, दिनांक–31 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान के अनुदान संख्या–29 (सामान्य) के आयोजनागत पक्ष की योजना मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता में **लेखानुदान के माध्यम** से कुल **प्राविधानित धनराशि ₹11667 हजार के सापेक्ष ₹5833 हजार (₹अठ्ठावन लाख तैंतीस हजार मात्र)** की धनराशि वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से पासवर्ड के आधार पर सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से बजट आवंटन संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– इस धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

2– उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–490 /XXVII(1)/2016, दिनांक–31 मार्च, 2016 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.)विभाग के शासनादेशों/दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि व्यय की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। मानक मद 01–वेतन, 03–मंहगाई भत्ता एवं 06–अन्य भत्ते से पुर्नर्विनियोग पूर्णतः वर्जित है।

6– योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

क्रमशः–2

7— कोर ट्रेजरी सिस्टम के माध्यम से व्यय का अध्यावधिक विवरण बी0एम0—8 पर प्राप्त करते हुए व्यय की नियमित समीक्षा करते हुए व्यय की सूचना निर्धारित बजट मैनुअल के प्रपत्रानुसार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय। बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार से मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त विभाग एवं बजट निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

8— स्वीकृत की जा रही धनराशि में से सम्बन्धित योजना में निदेशक, जड़ी—बूटी शोध एवं विकास संस्थान को ₹2666.5 हजार, सगन्ध पौधा केन्द्र को ₹2666.5 हजार तथा राज्य औषधीय पादप बोर्ड को ₹500 हजार की फॉट करते हुए तीनों संस्थानों को वास्तविक व्ययानुसार उनकी मॉग के आधार पर यथा प्रकिया अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9— स्वीकृत की जा रही धनराशि विभागीय आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

10— वृहद निर्माण कार्यो के आगणन बनाकर उस पर शासन का अनुमोदनोपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।

11— मानक मद 20 एवं 42 में स्वीकृत की जा रही धनराशि के पूर्ण उपयोग होने का उपयोगिता प्रमाण उपलब्ध कराने पर ही द्वितीय किस्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12— यदि किसी योजनाओं में धनराशि पी0एल0ए0खाते में जमा की गयी है तो सर्वप्रथम उक्त धनराशि को आहरित कर व्यय सुनिश्चित किया जाये, तदोपरान्त ही योजनान्तर्गत लेखानुदान में स्वीकृत धनराशि अवमुक्त की जायें।

13— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016—17 में अनुदान संख्या—29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक—2401—फसल कृषि कर्म—00—आयोजनागत—119—बागवानी एवं सब्जियों की फसलें—09—जड़ी—बूटी शोध संस्थान को अनुदान की योजना—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मद के नामे डाला जायेगा।

14— यह आदेश वित्त विभाग के शा0 पत्र संख्या—490/XXVII(1)/2016,दिनांक—31 मार्च, 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—566(1)/XVI-2/16/7(28)/2016,तददिनांक ।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2—निदेशक, जड़ी—बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर—चमोली।
3—जिलाधिकारी, चमोली, उत्तराखण्ड।
4—मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड देहरादून।
5—वैज्ञानिक प्रभारी सगन्ध पौधा केन्द्र सेलाकुई, देहरादून।
6—वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चमोली, उत्तराखण्ड।
7—राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8—वित्त अनुभाग—4,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव।

246

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, Sericulture (S044)

आवंटन पत्र संख्या - **566/xvi-2/16/7(28)/2016**

अलोटमैंट आई डी - **S1605290214**

अनुदान संख्या - **029**

आवंटन पत्र दिनांक -16-May-2016

HOD Name - Director Horticulture (2108)

1: **लेखा शीर्षक**

2401 - फसल कृषि कर्म

119 - बागवानी और सब्जियों की फसलें

00 - जड़ी बूटी शोध संस्थान को अनुदान

00 -

09 - जड़ी बूटी शोध संस्थान को अनुदान

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	5833000	5833000
	0	**5833000**	**5833000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 5833000